From the table it can be seen that reserved vacancies to an extent of 7 in the case of SC and 15 in the case of ST remain to be filled. These vacancies remain unfilled due to the following reasons :

(1) Candidates ineligible as per Rule 17 of C.S.E. Rules, and not allotted to any service;

(2) Candidates who declined service;

(3) Candidature cancelled on medical reasons;

(4) Candidates who were otherwise not eligible, obtained interim orders from Central Administrative Tribunal to appear in the Examination and were not allotted any service.

In order to fill up these vacancies, a requisition has been placed with the UPSC to release a Supplementary List.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते का बंद किया जाना

@@1298. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ता न देने की सिफारिश की थी और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्णरूपेण अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) 1987-88 से 1991-92 तक के वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में मंत्रालय-वार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए समयोपरि भत्ते को पूर्णत बंद किया जाना सुनिश्चित करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख) सरकार ने आरम्भ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता न देने के संबंध में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली थी । तथापि, तदनन्तर, प्रचालक श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में जो आवश्यक सेवाएं बनाए रखते हैं तथा प्रशासनिक स्टाफ के कुछ वर्गों के संबंध में भी सेवा की अत्यावश्यकता के आधार पर समयोपरि भत्ता बंद करना संभव नहीं था । अत: समयोपरि भत्ते को जारी रखने का निर्णय किया गया तथा संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में समयोपरि भत्ते के भुगतान के आदेश जारी किए गए ।

(ग) वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(घ) किफायत करने के उपाय के तौर पर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा गया है कि :

(1) कार्यालय समय के दौरान स्टाफ की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करें ताकि स्टाफ को समयोपरि कार्य पर बैठाने की आवश्यकता में कमी लाई जा सके, तथा

(2) यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 1992-93 के दौरान तथा इसके बाद में समयोपरि भत्ते पर व्यय वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजन के लिए हुए व्यय से अधिक न होने पाए ।

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 117, 23 फरवरी से स्थानांतरित ।

विवरण

वर्ष 1987-88 से 1990-91 के मंत्रालयवार समयोपरि भत्ते के आंकड़े के वित्त मंत्रालय के वेतन अनुसंधान एकक द्वारा जारी वेतन भत्ते विवरणिका में प्रकाशित)

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	कृषि और सहकारिता	62.41	63.85	71.22	76.60
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.23	0.86	1.19	0.91
3.	परमाणु उर्जा	285.30	314.38	374.97	402.45
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	4.70	4.26	5.62	—
5.	रसायन और पेट्रो रसायन	2.71	2.42	3.20	2.64
6.	नागर विमानन	4.48	2.77	3.09	4.21
7.	नागरिक आपूर्ति	2.44	2.40	2.06	2.28
8.	कोयला	2.34	3.14	3.00	3.36
9.	वाणिज्य (कपड़ा सहित)	22.90	25.67	27.31	24.41
10.	संचार	1979.96	1972.56	2271.46	2780.86
11.	कम्पनी कार्य	2.97	2.63	1.85	1.78
12.	संस्कृति	20.32	16.54	18.64	20.92
13.	रक्षा	8797.94	9245.45	8832.17	8703.11
14.	आर्थिक कार्य	2859.77	3120.62	2834.28	2710.16
15.	शिक्षा	11.43	13.09	13.07	12.32
16.	इलैक्ट्रोनिकी	4.04	2.63	2.44	3.18
17.	पर्यावरण और वन	24.30	23.93	27.16	33.33
18.	व्यय	3.47	4.79	3.61	4.31
19.	विदेश	22.10	26.66	28.10	25.43
20.	परिवार कल्याण	3.61	3.48	6.39	37.82
21.	उर्वरक	2.37	1.65	2.51	2.88
22.	खाद्य	5.84	4.68	5.14	4.26
23.	स्वास्थ्य	17.75	23.92	28.47	*

*परिवार कल्याण मंत्रालय में समयोपरि भत्ते की राशि में स्वास्थ्य मंत्रालय की राशि भी शामिल है ।

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
24	गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग सहित)	66.80	68.77	68.56	71.44
25	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	11.49	11.39	10.84	9.34
26	औद्योगिक विकास (लोक उद्यम सहित)	15.90	17.34	17.30	17.19
27	सूचना और प्रसारण	265.29	323.03	431.22	434.60
28	श्रम	10.98	13.72	13.20	15.88
29	विधि और न्याय	9.57	10.39-10.32	13.19	13.13
30	खान	17.09	10.32	16.13	20.71
31	महासागर विकास	0.54	0.41	0.32	0.66
32	संसदीय कार्य	2.70	2.74	2.37	2.50
33	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	10.17	10.37	14.08	14.53
34	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3.76	4.35	3.91	4.00
35	योजना	7.65	6.96	9.04	9.97
36	विद्युत	14.41	13.26	14.24	15.92
37	राष्ट्रपति सचिवालय	1.74	2.37	2.43	3.63
38	प्रधान मंत्री कार्यालय	8.05	8.13	8.60	8.61
39	कार्यक्रम कार्यान्वयन	1.26	1.23	1.41	0.85
40	रेल	5609.99	6910.67	6881.78	7098.17
41	राजस्व	340.87	338.25	370.29	348.82
42	ग्रामीण विकास	5.81	4.83	4.61	4.28
43	विज्ञान और प्रो०	100.03	102.70	112.49	172.87
44	अंतरिक्ष	117.42	111.81	187.70	119.41
45	सांख्यिकी	5.71	5.56	6.08	5.84
46	इस्पात	2.96	3.92	3.88	3.84
47	आपूर्ति	3.47	3.25	2.99	3.57
48	भूतल परिवहन	27.62	22.70	26.64	24.12
49	पर्यटन	1.85	2.33	1.31	1.50
50	संघ लोक सेवा आयोग	2.28	2.55	2.45	2.82
51	शहरी विकास	185.48	108.21	157.52	107.46
52	उप राष्ट्रपति सचिवालय	0.95	1.00	0.92	0.93
53	जल संसाधन	15.28	18.29	16.86	18.84
54	कल्याण	4.33	3.56	4.37	5.33

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
55	युवा कार्य और खेल	3.64	3.14	3.14	4.82
56	बायो-टेक्नोलोजी	—	0.68	0.75	0.96
57	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	—	0.05	—	—
58	कला	—	—	0.64	0.37
59	महिला और बाल विकास	—	—	1.09	1.40
60	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	—	—	2.03	1.43
	कुल	21017.75	23031.78	22981.33	23426.96

वर्ष 1991-92 के समयोपरि भत्ते के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Filling up of the vacancies of Helpers in Kendriya Bhandars in Delhi

1299. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of vacancies in the category of Helper have been lying vacant in Kendriya Bhandars in Delhi/New Delhi since long;

(b) whether it is also a fact that candidates sponsored by the Employment Exchanges have been awaiting in queue for their interview/selection; and

(c) if so, by when all selection formalities are likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA) (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां

1300. **श्री मूल चन्द मीणा :**
श्री मोहम्मद मसूद खान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में श्रेणी-वार बकाया रिक्तियां कितनी-कितनी हैं;

(ख) पिछले छः माह के दौरान ऐसे आरक्षित पदों को भरने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) शेष आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।